राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(3)गृह–1/2019 जयपुर, दिनांक : 18.08.2021

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृखला की वर्ष 2019–20 की नियमिति विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 10.10.2019 के समय श्री अमित आल्हा, आरपीएस के विरूद्व दिनांक 19.08.2016 के द्वारा नियम 16 सीसीए तथा श्री फाउलाल, आरपीएस के विरूद्व दिनांक 19.12.2018 के द्वारा नियम 17 सीसीए में आरोप पत्र जारी होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा इनकी पदोन्नति अभिशंषा सील्ड कवर में रखी गई।

श्री अमित आल्हा, आरपीएस को अन्तर्गत नियम 16 सीसीए की विभागीय जांच में कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 02.07.2021 द्वारा दोषमुक्त किये जाने तथा श्री फाउलाल, आरपीएस को नियम 17 सीसीए की विभागीय जांच में महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 23.12.2019 द्वारा प्रदत्त परिनिन्दा के दण्ड के विरूद्व श्री फाउलाल द्वारा अपील करने पर कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 15.07.2021 द्वारा उक्त परिनिन्दा के दण्ड को निरस्त कर श्री फाउलाल को दोषमुक्त किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान पुलिस सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला पद की वर्ष 2019–20 की दिनांक 10.10.2019 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के बन्द लिफाफो को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री अमित आल्हा (एससी) तथा श्री फाउलाल (एसटी) को राजस्थान पुलिस सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर वर्ष 2019–20 की क्रमशः दिनांक 01.04.2019 एवं 01.07.2019 की रिक्ति के प्रति एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री अमित आल्हा की वरिष्ठता श्री अकलेश कुमार शर्मा (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है तथा श्री फाउलाल (एसटी) की वरिष्ठता श्री लादूराम (एसटी) के नीचे तथा श्री शम्भू सिंह (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। उल्लेखनीय है कि अमित आल्हा, आरपीएस का दिनांक 04.07.2021 को स्वर्गवास हो गया है।

अतः श्री फाउलाल, आरपीएस अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा श्री फाउलाल को रिक्ति दिनांक 01.07.2019 से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

18/8/21

(गुरू प्रसाद शर्मा)
सहायक शासन सचिव, पुलिस

Scanned with CamScanner